ग्राम पंचायत, टाली भुज्जल, विकास खण्ड राजगढ़ ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-I

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव , पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच -एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, टाली भुज्जल, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे;

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री दुर्गा सिंह	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री राजू	23.01.2016 से निरन्तर

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री सेवा राम	01.04.2014 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत, टाली भुज्जल के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा नं	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	5	0.73
2	गृहकर वसूली हेतु शेष	6	0.18
3	अनुदान राशि का उपयोग न करना	7	8.78
4	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना सामग्री का क्रय	8	2.18

5	जे.सी.बी चार्जिज का अनियमित भुगतान	10	3.38
6	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय	11(i)	0.63
7	स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान	11(ii)	0.29
8	रोकड़ बही में दर्ज व्यय तथा ऑनलाइन भुगतान में भारी अन्तर	12(i)	2.96
9	मनरेगा की रोकड़ बही भुगतान राशि की प्रविष्टि न करना	12(ii)	1.64
10	बिना बिल/वाउचर तथा रोकड़ बही में दर्ज किये बिना राशि का भुगतान	13	0.73
11	GR {Goods Receipt Note} पर अनियमित क्रय	14 (i)	1.04

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत टाली भुज्जल , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.18, 24.03.18 से 26.03.18, 28.03.2018 तथा 31.03.2018 को ग्राम पंचायत टाली भुज्जल के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2014-15	04/2014	11/2014
2015-16	09/2015	03/2016
2016-17	06/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत टाली भुज्जल , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/राजगढ़/ 2017-18-25 दिनांक 31.03.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टाली भुज्जल से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत टाली भुज्जल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत टाली भुज्जल के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत टाली भुज्जल के अवधि 01/4/201 4 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **(परिशिष्ट–1)** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	------	28001.00	28001.00	9147.00	18854.00
2015-16	18854.00	22607.00	41461.00	5378.18	36082.82
2016-17	36082.82	34578.80	70661.62	61919.00	**8742.62**

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत टाली भुज्जल द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर रखे जाने का प्रावधान है | अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

(ii). अनुदान:- ग्राम पंचायत टाली भुज्जल के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2 व 2A}** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	1099874.52	2186762.00	3286636.52	2548425.40	738211.12
2015-16	738211.12	2812775.00	3550986.12	2932483.88	618502.24
2016-17	618502.24	2738866.00	3357368.24	2479283.93	878084.31

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 **रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.73 लाख का अन्तरः–**

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹73095** का अन्तर पाया गया, जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	8742.62	1
2.	अनुदान	878084.31	2
3.	कुल शेष राशि	886826.93	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	813731.93	4
5.	कुल अन्तर	73095.00	**5**

(ii). रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई रोकड़ बहियां तथा खाताबहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं

करवाती | ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही एवं खाता बहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

6 गृहकर ₹0.18 लाख वसूली हेतु शेषः–

सचिव ग्राम पंचायत टाली भुज्जल द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या : जी.पी.ऑडिट/राजगढ़/टाली भुज्जल/2017-18-3 दिनांक 16/03/2018 के सन्दर्भ में उनके पत्र **क्रमांक:GP/TB/2017-18-03** दिनांक 31/03/2018 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/201 7 को निम्नतालिकानुसार गृहकर की **₹18,140** की राशि वसूली योग्य शेष बताई गई है, जिसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि (₹)
2014-15	300	20/-	6000/-	------	6000/-
2015-16	302	20/-	6040/-	------	12040/-
2016-17	305	20/-	6100/-	------	18140/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**18140/-**	------	**18140/-**

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है , क्योंकि ऐसा कोई अभिलेख अंकेक्षण के दौरान उपस्थित नहीं किया गया, ऐसे में गृहकर शुल्क तथा पंचायत को अन्य करों/शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका|

अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो|

7 अनुदान ₹8.78 लाख की राशि का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹.8,78,084** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये|

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.18 लाख के स्टोर/स्टॉक का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹**1000** से अधिक तथा ₹**50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा ₹**50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा (Tenders)** आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके| जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा **निविदा/कोटेशन्स** आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है| परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही ₹218479 की स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए

तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 ₹2.18 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है | परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में **परिशिष्ट–6** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु ₹218479 की क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई थी। अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए , तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए|

10 जे.सी.बी चार्जिज ₹3.38 लाख का अनियमित भुगतान:-

(i). अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर निम्नतालिकानुसार **₹338000** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है , जोकि उपरोक्त **पैरा संख्या:8** में वर्णित नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है , जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए|

जे.सी.बी चार्जीस के ₹338000 के अनियमित भुगतान का ब्यौरा

नं	फर्म का नाम	बिल व् दिनांक	घन्टे	दर	कुल भुगतान
		सामान्य निधि			
1	सदा नन्द पुण्डीर	08/ 02.03.2016	36.5	800/-	29200
2	---do---	11/ 02.03.2016	14.75	800/-	11800
3	---do---	12/ 02.03.2016	48.75	800/-	39000
4	---do---	13/ 02.03.2016	14.75	800/-	11800
5	---do---	19/ 02.03.2016	73.75	800/-	59000
6	---do---	24/ 02.03.2016	39	800/-	31200
7	---do---	25/ 15.03.2016	97.5	800/-	78000

8	---do---	29/ 15.03.2016	97.5	800/-	78000
9		**कुल योग**	**422.5**	**800/-**	**338000**

(ii) इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई , जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

(iii). उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिज का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां जैसे आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि की कटौती नहीं की गई है , जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी | अतः उक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएँः–

(i) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹0.63 लाख **की राशि का अधिक भुगतान:-**

निर्माण कार्यों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर निम्नतालिकानुसार **₹63413** की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसकी पंचायत स्त्तर पर जाँच की जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

निर्माण सामग्री का	**सामग्री की क्रय की गई**	**सामग्री की मूल्यांकित मात्रा**	**अधिक क्रय की गई**	**क्रय दर/मुल्यां-**	**राशि का अधिक आहरण/व्यय**

नाम	मात्रा/राशि		मात्रा	कन दर	
PMAGY:- पक्की गली, धारटू			**MB-306 पृष्ठ-71-72**		
सीमेंट	70 बैग	63 बैग	7 बैग	349.25	2444.75
रेत	12 cum	6.70 cum	5.30	2800/-	14840/-
बजरी	13.31cum	12.68cum	0.63	2800/-	1764/-
			उपरोक्त सामग्री की अधिक खरीद		**19048.75**
PMAGY:- पक्की गली, घोटाडी			**MB-306 पृष्ठ-45-46**		
रेत	9.91cum	7.78cum	2.13	3325/-	7082.25
			उपरोक्त सामग्री की अधिक खरीद		**7082.25**
PMAGY:-D/W स्कीम धारटू खाड़ी से पुजेरली			**MB-306 पृष्ठ-52-53**		
रेत	5.66 cum	4.57 cum	1.09	3850/-	4196.50
बजरी	1.42 cum	1.14 cum	0.28	3850/-	1078/-
			उपरोक्त सामग्री की अधिक खरीद		**5274.50**
PMAGY:- पक्की गली, तरोगा			**MB-306 पृष्ठ-68-69**		
रेत	5.09 cum	4.11 cum	0.98	2100/-	2058/-
बजरी	10.19cum	8.22cum	1.97	2625/-	5171/-
			उपरोक्त सामग्री की अधिक खरीद		**7229/-**
PMAGY:- पक्का रास्ता, जुब्बल से धारटू			**MB-306 पृष्ठ-73**		
सीमेंट	65 बैग	63 बैग	2 बैग	349.25	698.50
रेत	9.91 cum	6.41cum	3.5	2800/-	9800/-
बजरी	12.17cum	9.82cum	2.35	2700/-	6345/-
			उपरोक्त सामग्री की अधिक खरीद		**16843.50**
सामान्य निधि:-सामुदायिक शोचालय, धारटू			**MB-2485 पृष्ठ-37-38**		
सीमेंट	122 बैग	97 बैग	25 बैग	317.40	**7935/-**
				अधिक अदायगी	**₹63413**

(ii) प्राप्त अनुदान से ₹0.29 लाख का अधिक भुगतान;-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सामान्य निधि खाते से मुरम्मत सम्पर्क मार्ग धारटू खाड़ी से बगौर के कार्य हेतु **{विकास कार्य सूचि सामान्य, के क्रमांक 20** के अनुसार**}** ₹50,000 की राशि स्वीकृत थी, जिस में से 31.03.2017 तक केवल ₹40,000 की राशि प्राप्त हुई थी जबकि उक्त कार्य पर ₹69250 का प्राप्त अनुदान से ₹29250 अधिक था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की गई राशि की फंडिंग

एजेंसी से कार्योतर स्वीकृति तथा अतिरिक्त राशि प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

12 **मनरेगा योजना के अंतर्गत** किए गए व्यय **से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-**

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशि **व् ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंन्ट्स में ₹2.96** लाख **का भारी अन्तर:-**

अंकेक्षण अवधि के दौरान वितीय वर्ष 2014-15 व् 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की व् बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय /भुगतान की राशी में निम्नविवरणानुसार **₹2,95,620** का भारी अन्तर पाया गया है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा अन्तर के कारणों का पता लगाकर अंकेक्षण को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाए|

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय भुगतान	ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	रोकड़ बही व् ऑनलाइन भुगतान में अन्तर (₹)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) [3-2]**
2014-15	630256/-	443816/-	**186440/-**
2016-17	1332330/-	1223150/-	**109180/-**
Total	**1962586/-**	**1666966/-**	**295620/-**

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 में किये गए ₹1.64 लाख **के ऑनलाइन भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-**

वितीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गयी राशी को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था जबकि उक्त अवधि में Online Financial Statements के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर उक्त अवधि के दौरान ₹1,64,040 का Online व्यय भुगतान किया गया था जिसे रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो इसे वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ इसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी | अतः इस भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

13 बिना बिल/वाउचर के ₹0.73 लाख का भुगतान /व्यय:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि PMAGY के बचत बैंक खाते से दिनांक 16.11.2015 को चेक संख्या 449773 द्वारा ₹24,400 का आहरण किया

गया, परन्तु उक्त आहरित राशि में से केवल ₹17,432 का भुगतान का ब्यौरा ही रोकड़ बही में दर्ज पाया गया, शेष बची ₹6968 {24400-17432} को रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया |

इसी प्रकार BRGF के बचत से भी निम्नतालिकानुसार ₹66,127 का आहरण किया गया था जिसका रोकड़ बही में कोई उल्लेख नहीं पाया गया | अतः इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख को पूर्ण करके बिल/वाउचर अंकेक्षण को प्रस्तुत किये जाएं तथा अधिक आहरित राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹73095 (6968+66127) की उचित स्त्रोत से वसूली उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाएः–

दिनांक	आहरित राशि का विवरण	राशि
18.04.2016	चेक संख्याः-116749 To Cash Raju	8627/-
29.03.2017	चेक संख्याः-3065030 To Cash	50000/-
29.03.2017	चेक संख्याः-306 To Durga Singh	7500/-
	कुल राशि	**66,127/-**

14 विविध अनियतिताएंः–

(i). बिना उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त किए ₹1.04 लाख की खरीदः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ने बिना उचित बिल/वाउचर प्राप्त किए **परिशिष्ट–7** में दिए गए विवरणानुसार ₹104338 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

(ii). मजदूरी का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर से किए जाने के कारण ₹1,364 का अधिक भुगतान:-

निम्नतालिका में दर्शाए गए कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भुगतान कर ₹1,364 की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए |

विवरण/माह	कार्य दिवस	अदायगी दर (₹)	सरकार द्वारा निर्धारित	अधिक अदायगी (₹)

				लागू दर (₹)	
कार्य:- पक्का रास्ता भुज्जल से धर्मपुर		मस्टर रोल संख्या:-12850			
मिस्त्री/ 03/2017	30	270/-	242/-		840
---do---/03/2017	8	270/-	242/-		224/-
मजदूर/ 03/2017	30	210/-	200/-		300/-
				अधिक अदायगी	1,364/-

(iii).मस्ट्रोल वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीद प्राप्त किये बिना ₹0.38 लाख का संदिग्ध भुगतान:-

सामान्य निधि की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि निम्नतालिका में दर्शाए गए कार्यों पर मार्च, 2017 में मस्ट्रोल द्वारा **₹38,000** का भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद प्राप्त बिना ही किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

M/R No.	कार्य का नाम	कार्य दिवसx (मजदूर)	दर	राशि (₹)
12850	निर्माण पक्का रास्ता जुब्बल से धर्मपुर	15x(1)	200	3000/-
12853	L/R मुख्य मार्ग से पंचायत घर	15x(11)	200	33000/-
12853	---do---	10x (1)	200	2000/-
				38000/-

(iv). ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा है, भविष्य में जिसकी अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए |

(v). पंचायती राज वित्त नियम , 2002 के नियम 7 की अनुपालना करते हुए प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया जा रहा है, जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में उक्त नियम की अनुपालना सुनिश्चित की जाए|

(vi). सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री भण्डारण पंजिका का संधारण नहीं किया गया है तथा निर्माण कार्यों में सामग्री पंचायत के सामग्री भण्डारण रजिस्टर में दर्ज किये बिना ही उपयोग में लायी जा रही है, जोकि सम्बन्धित नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित है| अतः उक्त पंजिका का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

(vii). निर्माण कार्य D/W पाइप लाइन खड़ा जुब्बड़ से पाब (BRGF) के लिए बसंत पाइप इंडस्ट्रीज सोलन से उनके बिल संख्या 141 दिनांक 13.01.2015 मीटर में न दर्शाकर किलोग्राम में दर्शायी (806 किलोग्राम HDPE पाइप की खरीद ₹61,321) गई है, जबकि उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका 306 के पृष्ठ 60 के अनुसार 1800 मीटर पाइपलाइन का निर्माण दर्शाया गया है जिसके अनुसार उक्त पाइप ₹34 प्रति मीटर {₹61,321/1800=₹34} की लागत से खरीदी गई है, परन्तु उक्त खरीद से सम्बन्धित बिल पर न तो पाइप की मोटाई (dia), न क्वालिटी और न ही मीटर में लम्बाई दर्शायी/दर्ज की गई है जिसके अभाव में उक्त खरीद तर्कसन्गत प्रतीत नहीं होती, अतः उक्त खरीद बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनवॉइस/बिल पर खरीदी गई सामग्री के सम्पूर्ण विवरण दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए|

(viii). चयनित माह में आय का अंकेक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

15 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

16 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितताएँः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका | अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए था सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए |

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई , उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है अतः भविष्य में नियमानुसार रसीद बुक्स का रख रखाव व उपयोग किया जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि माचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म ,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना न करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9. स्टेशनरी रजिस्टर|
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|

11. मस्ट्रोल इशू रजिस्टर|
12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

18 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्तिथि स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये |

19 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है |

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(X)32/2018 खण्ड–1–6054–6057 दिनांक–13.09.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत टाली भुज्जल, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881